संख्याः /XX(2)/16/02सी(02)2012

प्रेषक,

अजय रौतेला,
अपर सचिव/नियंत्रक प्राधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, (टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, को छोडकर)
उत्तराखण्ड ।

गृह अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 27 जुलाई, 2016

विषय– **मैसर्स आर्मर सिक्यूरिटी हाउस कीपिंग एण्ड प्लेसमेंट सर्विसेज को निजी सुरक्षा एजेन्सी संचालन हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मैसर्स आर्मर सिक्यूरिटी हाउस कीपिंग एण्ड प्लेसमेंट सर्विसेज के दिनांकरहित के क्रम में प्रदेश के जनपद– देहरादून, चम्पावत, पिथौरागढ़, पौडी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, बागेश्वर, उत्तरकाशी, अल्मोडा से निजी सुरक्षा एजेन्सी संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति आख्या के दृष्टिगत् 'निजी सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम, 2005'' के अधीन ''निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लिए राज्य की आदर्श नियमावली, 2009'' के प्राविधानानुसार तथा 'उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली' का अनुपालन किये जाने की शर्त के अधीन प्रदेश के जनपद– देहरादून, चम्पावत, पिथौरागढ़, पौडी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, बागेश्वर, उत्तरकाशी, अल्मोडा में निजी सुरक्षा एजेन्सी के रूप में कार्य किये जाने हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उक्त निर्गत अनापत्ति के सापेक्ष एजेन्सी धारक को कार्य करने से पूर्व निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लिए राज्य की आदर्श नियमावली, 2009 के नियम–4, नियम–5, नियम–6, नियम–7, नियम–10, नियम–14, नियम–15 एवं नियम–16 की पूर्ति आवश्यक होगी। सुलभ सन्दर्भ हेतु अनुज्ञप्ति की छायाप्रति कार्यालय उपयोगार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(अजय रौतेला)
अपर सचिव/नियंत्रक प्राधिकारी

पृष्ठांकन संख्याः 1825 (1) /xx-2/16/02सी(02)2012,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) श्री प्रवेश गुरंग, निदेशक, मैसर्स आर्मर सिक्यूरिटी हाउस कीपिंग एण्ड प्लेसमेंट सर्विसेज, सीआईएसएफ रोड़, निकट जार्ज पब्लिक स्कूल, निबूंवाला, गढ़ी कैन्ट

देहरादून को अनुज्ञप्ति की मूल–प्रति इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्तर–2 के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए नियम–10 के अन्तर्गत एजेन्सी से सम्बद्ध समस्त कार्मिकों/सुरक्षा गार्ड आदि का विवरण 30 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को निर्गत अनुज्ञप्ति की छायाप्रति वेब–साइट में प्रदर्शित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(4) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एन0 उप्रेती)
अनु सचिव

प्ररूप (छः)

(शासनादेश संख्याः 1825 / XX-2 / 16 / 02सी(02)2012, दिनांकः 27 जुलाई, 2016 का संलग्नक)

निजी सुरक्षा एजेन्सी के कारोबार में नियोजन हेतु लाइसेंस

('निजी सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम, 2005' एवं प्रदेश शासन की 'निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लिए राज्य की आदर्श नियमावली, 2009' के अधीन)

क्रम संख्याः 69 (प.सं.–02सी(02)2012)

दिनांकः 27 जुलाई, 2016

मैसर्स, आर्मर सिक्यूरिटी हाउस कीपिंग एण्ड प्लेसमेंट सर्विसेज

पूरा पता– विलेज जोहरी, पो0ओ0 अनारवाला, देहरादून को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा **राज्य के जनपद देहरादून, चम्पावत, पिथौरागढ़, पौडी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, बागेश्वर, उत्तरकाशी, अल्मोडा** में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसका कार्यालय–देहरादून में है।

कार्यालय का पता– सीआईएसएफ रोड़, निकट जार्ज पब्लिक स्कूल, निबूंवाला, गढ़ी कैन्ट देहरादून।

जारी करने का स्थान– देहरादून

जारी करने की तिथि– 27 जुलाई, 2016

लाईसेंस वैधता की तिथि– 26 जुलाई, 2021

27/7/16

(अजय रौतेला)

अपर सचिव / नियंत्रक प्राधिकारी,

गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन,

04 सुभाष रोड़, देहरादून।